



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129055

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या - 21443 वर्ष 2026

महेश चौधरी उर्फ महेश कुमार कन्नौजिया याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य विपक्षी पक्ष(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अमित कुमार यादव, करुणेश प्रताप सिंह

विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अमित कुमार यादव की ओर से पेश हुए अधिवक्ता श्री आलोक चंद्र तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री विजय बहादुर मौर्य को सुना गया।

2. वर्तमान आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 96 वर्ष 2026, उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2(ख)(i), 2(ख)(xi), 3(1),

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



थाना कोतवाली, जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत, विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की मांग करते हुए दाखिल किया गया है।

3. विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक की ओर से प्रस्तुत किया कि गैंग चार्ट में दर्शाए गए एकमात्र मुकदमे के आधार पर आवेदक को वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक न तो किसी गिरोह का सदस्य है और न ही नेता तथा वह कभी किसी समाज विरोधी गतिविधि में लिप्त नहीं रहा है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि गैंग चार्ट में दर्शाए गए मूल मुकदमे में वह जमानत पर है।

4. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि हालांकि वर्तमान मामले और गैंग चार्ट में दर्शाए गए मूल मुकदमे के अतिरिक्त आवेदक का चार अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है, तथापि इन मामलों में भी वह जमानत पर है।

5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में आवेदक दिनांक 20.05.2026 से जेल में निरुद्ध है।

6. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में प्रस्तुत तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और मामले के अभिलेख का परिशीलन किया है।

8. ऐसा प्रतीत होता है कि गैंग चार्ट में दर्शाए गए एकमात्र मुकदमे के आधार पर आवेदक को वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है और मूल मुकदमे में वह जमानत पर है। इसके अतिरिक्त, यद्यपि वर्तमान मामले और गैंग चार्ट में दर्शाए गए मूल मुकदमे के अलावा आवेदक का चार अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है, तथापि इन मामलों में भी वह जमानत पर है। आगे, वर्तमान मामले में आवेदक दिनांक 20.05.2026 से जेल में निरुद्ध है।

9. अतः, ऊपर उल्लिखित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मेरे विचार में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत याचिका अनुमन्य की जाती है।

11. आवेदक-महेश चौधरी उर्फ महेश कुमार कन्नौजिया को निम्नलिखित शर्तों के अधीन, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, उपर्युक्त मामले में जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं समाज विरोधी गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

12. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

13. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत याचिका के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(समीर जैन, न्यायमूर्ति)

24 जून, 2026

शाहरोज

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।